कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स्, नया रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–618/900

रायपुर, दिनांक 24/03/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
बीजापुर वन मंडल, बीजापुर
छत्तीसगढ़

विषयः – **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 for Widening and Upgrading to 2 Lane of NH 163 (old NH 202) from Bhopalpatnam – Taralaguda section in State of Chhattisgarh under LWE scheme, area- 104.887 ha. पंजीयन क्रमांक FP/ CG/ ROAD / 19527 / 2016**

संदर्भः– छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–70/2017 / 10–2 दिनांक 18.01.2018

= 0 =

विषयांकित प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी जिसका उत्तर आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है। पत्र के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

1. संदर्भ पत्र के बिन्दु 2 के उत्तर में बताया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र मिश्रित वन है और प्रकरण में 3066 वृक्ष प्रभावित हो रहे है।

उत्तर अपूर्ण है। शासन द्वारा यह प्रेक्षा की गई थी कि प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 142, 143 में कुल वृक्षों की संख्या 4003 दर्ज है, जिसके बारे में उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है। 4003 वृक्षों का आंकड़ा किस प्रकार उत्पन्न हो रहा है और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 4003 न होकर 3066 ही है – इसका कारण सहित स्पष्ट उत्तर प्रेषित करें।

2. संदर्भ पत्र के बिन्दु 5 का अध्ययन हो। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.01.2018 की छाया प्रति संलग्न है, जिसके आधार पर वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन हेतु पत्र के बिन्दु 3 (जो विभिन्न प्रकार के प्रकरणों में पेनाल्टी से संबंधित है) के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण करते हुए पेनाल्टी के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करें।

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कर 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्नः– पत्र दिनांक 29.01.2018 की छाया प्रति

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–618/901

रायपुर, दिनांक 24/03/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **अपर मुख्य सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक**, जगदलपुर वृत्त, छत्तीसगढ़ को उनके पत्र क्रमांक/ व.त.अ/587 दिनांक 08.03.2018 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
3. **मुख्य अभियंता**, लोक निर्माण विभाग, नेशनल हाईवे जोन, एन. एच कैम्पस, पेंशन बाड़ा, रायपुर – 492001 (छ.ग)।
4. **कार्यपालन अभियंता**, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जगदलपुर परिक्षेत्र।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
O/C छत्तीसगढ़

- 107 -Letter Vividh 2018 (1)